भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादनविभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1327

13 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

रक्षा उपकरणों का विनिर्माण और निर्यात

1327. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों में "मेक इन इंडिया" योजना के तहत रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) क्या रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में इस योजना के तहत हरियाणा में कोई कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार रक्षा उपकरणों के आयात को कम करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पिछले पांच साल में "मेक इन इंडिया" योजना के तहत हथियारों के निर्यात में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में 155 एमएम आर्टिलरी गन सिस्टम 'धनुष', हल्के युद्धक विमान 'तेजस', सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली 'आकाश', मुख्य युद्ध टैंक 'अर्जुन', टी-90 टैंक, टी-72 टैंक, बख्तरबंद कार्मिक वाहन बीएमपी-II/IIके, सुखोई-30 एमके1, चीता हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, डार्नियर डीओ-228, हाई मोबिलिटी ट्रक्स, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस चेन्नई, पनडुब्बी-रोधी वारफेयर कार्वेट (एएसडब्ल्यूसी) , अर्जुन कवचित मरम्मत एवं रिकवरी वाहन, ब्रिज लेइंग टैंक , 155 एमएम गोलाबारूद हेतु बाई-माड्यूलर चार्ज प्रणाली (बीएमसीएस), मध्यम बुलेट प्रूफ वाहन (एमबीपीवी) , वेपन लोकेटिंग रडार (डब्ल्यूएलआर), एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) , साफ्टवेयर

डिफाइन्ड रेडियोज (एसडीआर) , पायलट रहित लक्ष्य विमान हेतु लक्ष्य पैराशूट , युद्धक टैंकों हेतु आप्टो इलेक्ट्रानिक साइट्स , वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट , तटीय गश्ती पोत, अपतटीय गश्ती पोत, फास्ट इंटरसेप्टर बोट, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, 25 टी टग्सइत्यादि सहित अनेक महत्वपूर्ण उत्पादों का उत्पादन किया गया है ।

(ख) :रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की शतप्रतिशत भागीदारी के लिए मई 2001 में खोला गया था । रक्षा क्षेत्र को खोले जाने से जनवरी, 2023 तक फ्यूज, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ वेस्ट/जैकेट इत्यादि जैसे विभिन्न रक्षा उत्पादों के विनिर्माण के लिए हरियाणा राज्य में स्थित 34 कंपनियों को कुल 47 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

(ग) : इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत पहलें की हैं और रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन,विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं जिससे देश में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके । इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी) 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना ; सेनाओं की कुल 411 मदों की चार 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों'और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 3738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' की अधिसूचना,जिसके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय-सीमा के बाद आयात पर प्रतिबंध होगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण ; स्वचालित रूट के तहत 74 प्रतिशत एफडीआई अनुमत करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण ; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण ;डेफ्स्पेसअभियान का शुभारंभ ; स्टार्ट अप्स और सूक्ष्म , छोटे एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को शामिल करके रक्षा उत्कृष्टता नवाचारस्कीम(आईडेक्स)की शुरूआत ; लोक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन ; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नाम क एक स्वदेशीकरण पोर्टल की शुरूआत ; उच्च मल्टीप्लायर्स प्रदान करके रक्षा विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर देने के साथ ऑफसेट नीति में सुधारतथादो रक्षा औद्योगिक गलियारों, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु प्रत्येक में एक-एक , की स्थापना ;25 प्रतिशत रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्ट अप्स और शैक्षिक जगत के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) आरंभ करना ; घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के रक्षा बजट के आवंटन में प्रगामी वृद्धि आदि शामिल हैं ।

इन नीतिगत पहलों का उद्देश्य देश में रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे अन्ततोगत्वा में आयातों पर निर्भरता कम की जा सके । विदेशी स्रोतों से रक्षा अधिप्राप्ति पर होने वाला व्यय वर्ष 2018-19 में कुल व्यय का 46 प्रतिशत था जो दिसंबर, 2022 में घटकर 36.7 प्रतिशत हो गया है ।

(घ): रक्षा उत्पादन विभाग विशेष रसायनों , जीवाश्वों, सामग्रियों, उपस्करों एवं प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) की श्रेणी 6 में शामिल आयुध सूची की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार जारी करता है जिसके लिए निर्यात वर्ष 2017-18 में 4682 करोड़ रु. था जो वर्ष 2022-23 (06 मार्च, 2023 तक) में बढ़कर 13398.65 करोड़ रु. हो गया है । विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष में आज की तारीख तक निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (06.03.23 तक)**
निर्यात प्राधिकार का कुल मूल्य (करोड़ रु. में)	4682	10746	9116	8435	12815	13398.65

****